12/11/18 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित / अधि॰ वैकल्पिक अधिकारी राज॰ कार्य से बाहर / जयपुर पधारे हुये है। अग्रिम तिथि दिनांक 24-1-19 को पेश हो।

30.11.18 पत्रावली प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष एवं वादीगण तथा प्रतिवादी नं0 1 उपस्थित। उभयपक्ष ने उपस्थित होकर राजीनामा तस्दीक किये जानें का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किये कि उक्त प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है। वादी के खातें की भूमि ख0नं0 367 रकबा 0.14 हे0 को वापस कब्जा सम्भला दिया है। अब हम दोनों के मध्य आपस में राजीनामा होनें से दावा नही चलाना चाहते और राजीनांमा से दावा डिक्री कराना चाहते है, वादीगण द्वारा भू–सुधार हेतु 7000/–रू0 दिये है तथा प्रतिवादी ने भूमि को वापस वादीगणों को कब्जा दे दिया है। अन्त में निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य राजीनामा तस्दीक करनें की कृपा करें।

उभयपक्ष को सुना गया तथा पत्रावली एवं प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। राजीनामा में उभयपक्ष ने कथन किये है कि उभयपक्ष नें विवादित आराजी के सम्बन्ध में आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया है। प्रतिवादीगण ने वादीगण को भूमि संभला दी है तथा वादीगण ने विवादित आराजी वाके ग्राम फतेहपुर तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 367 रकबा 0.14 हे0 भूमि पर प्रतिवादीगण से

Scanned by CamScanner

| | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख
जो किस हुक्म
तामील में जारी |
|---|---|---|
| | कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा वर्तमान में उभयपक्ष के मध्य कोई विवाद शेष नहीं है।

प्रकरण धारा 183 आरटीएक्ट के अन्तर्गत विचाराधीन है तथा उभयपक्ष द्वारा आपसी सहमति से अपनें स्तर पर राजीनामा कर विवाद का निस्तारण किया जा चुका है, वर्तमान में उभयपक्ष के मध्य कोई विवाद शेष नहीं है। जिससे प्रकरण में राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाना उचित नहीं पाते है।

अतः उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं वाद वादीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। | |

Scanned by CamScanner